



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक—(इकाई-2)

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1995 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु:-

स्वीकृति - पत्र

सेवा में,

श्री राहुल कपूर
पुत्र श्री गोपल कृष्ण कपूर,
निवासी-जावहर बाग, (जी०एम०डी० रोड)
जिला-मुरादाबाद (उ०प्र०)

पत्रांक.....1089

नि०प्र०-05/2014-15

दिनांक-29/5/2015

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 01 बी/सी०पी०-2/योजना सं०-4, भाग-1, बौद्ध बिहार, मुरादाबाद में निर्माण करने सम्बंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक-27.05.2015 के कम में आदेश रजिस्टर सं० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. कम्पाउन्ड वाले परिषद के निर्धारित डिजाईन के अनुसार निर्मित की जानी होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक-29-5-2015 से 28/5/2020 तक) पाँच वर्ष होगी।
4. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
5. भूखण्ड पर प्रथम बार निर्माण करने की सूचना अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-26, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
6. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
7. यदि इस भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा वह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
8. यह स्वीकृत केवल स्टिल्ट, प्रथम तल एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जा रही है।
9. यह स्वीकृत 282.58 वर्ग मी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये 343.90 वर्ग मी० के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
10. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार स्टिल्ट में दर्शायी गयी पार्किंग सुनिश्चित की जानी होगी।

संलग्नक-स्वीकृति मानचित्र की एक प्रति।

पृ०स०.....1089
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त/.....

o/c विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक

तद् दिनांक-29/5/2015

1. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-23/24/25/26 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद बरेली को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद को उपरोक्त शर्तों के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Received by
Rohit K. (8005445235)
For Rohit Kapoor

o/c विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक



Registered

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक—(इकाई-2)

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1995 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु:-

स्वीकृति - पत्र

सेवा में,

श्री विनय अग्रवाल,
पुत्र श्री सुरील कुमार,
मुरादाबाद सेनेट्री एवं मिल स्टोर्स,
स्टेशन रोड, मुरादाबाद।

पत्रांक.....2738

नि०प्र०-03 / 2015-16

दिनांक-26/10/15

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-6ए/06 मझोला, योजना सं०-4, भाग-2, मुरादाबाद के निर्माण करने सम्बंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक-12.10.2015 के कम में आदेश रजिस्टर सं० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. कम्पाउन्ड वाले परिषद के निर्धारित डिजाईन के अनुसार निर्मित की जानी होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक-26/10/15 से 25/10/2020 तक) पाँच वर्ष होगी।
4. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
5. भूखण्ड पर प्रथम बार निर्माण करने की सूचना अधिशासी अभियंता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-25, मुरादाबाद को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
6. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
7. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा वह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
8. यह स्वीकृत केवल स्टिल्ट, प्रथम तल तथा द्वितीय तल, ममटी हेतु है।
9. यह स्वीकृत 450.00 वर्ग मी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये 480.00 वर्ग मी० के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है।
10. Stilt Floor पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार दर्शायी गयी पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कोई भू-प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा।
11. यह स्वीकृति पार्किंग हेतु Achieved F.A.R के आधार पर ही दी गयी है तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भविष्य में यदि आप द्वारा अतिरिक्त निर्माण की माँग की जाती है, तो अतिरिक्त निर्माण हेतु पार्किंग, अग्निशमन, स्ट्रक्चरल डिजाईन इत्यादि के प्राविधान नियमानुसार किये जाने होंगे।

संलग्नक-स्वीकृति मानचित्र की एक प्रति ।

पृ०स०.....2738
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त/.....

०/ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक
तद दिनांक-26/10/15

1. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-23/24/25/26 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुरादाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद को उपरोक्त शर्तों के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०/ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक—(इकाई-2)

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1995 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु—

स्वीकृति - पत्र

सेवा में,

मैसर्स अनराइवल्ड डिजाईन ग्रुप,
मानपुर-1, बुद्धबाजार,
मुरादाबाद।

पत्रांक.....2427

नि०प्र०-01/2016-17/6ए/05

दिनांक—09/08/2016

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-6ए/05 मंजोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद के निर्माण करने सम्बंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक-25.07.2016 के क्रम में आदेश रजिस्टर सं० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. कम्पाउन्ड वाले परिषद के निर्धारित डिजाईन के अनुसार निर्मित की जानी होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक-09/08/2016 से 08/08/2021 तक) पाँच वर्ष होगी।
4. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
5. भूखण्ड पर प्रथम बार निर्माण करने की सूचना अधिशासी अभियंता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-25, मुरादाबाद को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
6. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
7. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा वह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
8. यह स्वीकृत केवल स्टिल्ट, प्रथम तल तथा द्वितीय तल, ममटी हेतु है।
9. यह स्वीकृत 450.00 वर्ग मी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये 480.00 वर्ग मी० के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है।
10. Stilt Floor पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार दर्शायी गयी पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कोई भू-प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा।
11. स्वीकृत मानचित्र में स्टिल्ट पार्किंग, अग्निशमन, स्ट्रक्चरल डिजाईन इत्यादि के प्राविधान नियमानुसार किये जाने होंगे।

संलग्नक—स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

पुं०स०.....2427
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त/.....

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक
तद दिनांक—09/08/2016.

1. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-23/24/25/26 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुरादाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद को उपरोक्त शर्तों के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक—(इकाई-2)

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1995 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु—

स्वीकृति - पत्र

सेवा में,

श्री दिनेश चन्द्र मदान,
पुत्र श्री मदन लाल मदान,
चन्द्र नगर, मुरादाबाद।

पत्रांक.....4597

नि०प्र०-02/2016-17

दिनांक.....16-12-2016

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-6ए/03 मझोला, योजना सं०-4, भाग-2, मुरादाबाद के निर्माण करने सम्बंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक-02.12.2016 के कम में आदेश रजिस्टर सं० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. कम्पाउन्ड वाले परिषद के निर्धारित डिजाईन के अनुसार निर्मित की जानी होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक-16/12/16 से 15-12-2021 तक) पाँच वर्ष होगी।
4. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
5. भूखण्ड पर प्रथम बार निर्माण करने की सूचना अधिशासी अभियंता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-25, मुरादाबाद को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
6. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
7. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा वह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
8. यह स्वीकृत केवल स्टिल्ट, प्रथम तल तथा द्वितीय तल, ममटी हेतु है।
9. यह स्वीकृत 472.56 वर्ग मी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये 480.00 वर्ग मी० के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है।
10. Stilt Floor पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार दर्शायी गयी पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कोई भू-प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा।
11. स्वीकृत मानचित्र में स्टिल्ट पार्किंग, अग्निशमन, स्ट्रक्चरल डिजाईन, विकलांग जनों की सुविधा इत्यादि के प्राविधान नियमानुसार किये जाने होंगे।

संलग्नक—स्वीकृति मानचित्र की एक प्रति ।

पृ०स०.....4597

/उपरोक्त/.....

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक
तद् दिनांक-16/12/16.

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-23/24/25/26 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुरादाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद को उपरोक्त शर्तों के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक